



दिनांक: 04.05.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.05.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी अपराधी सोनू उर्फ श्याम सिंह पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर संबंधित वाद सं0 2302/21 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम 3(2)5 एससीएसटी एक्ट विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 ) सहारनपुर को ग्राम अनन्तमऊ से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-**

सोनू उर्फ श्याम सिंह पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 शीशपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. म0का0 2147 सोनिका थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. हो0गा0 2004 विनोद कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:04-05-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बडगांव पुलिस द्वारा नकबजनी के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना बडगांव पर पंजीकृत मु०अ०स०-61/24 धारा 457/380/411 भादवि तथा मु०अ०स० 71/24 धारा 379/411 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के 02 वांछित अभियुक्तगण 1- छोटू पुत्र बुद्धु निवासी ग्राम खटका हेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर 2-सोनू पुत्र रमेश उर्फ सरदारा निवासी साई धाम कालोनी टेलीफोन एक्सचेन्ज के पीछे हसनपुर चुंगी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर को 01 चाकू नाजायज (अभि०छोटू) व 2000 रुपये (अभि०सोनू) के साथ बेलडा नहर बडगांव से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. छोटू पुत्र बुद्धु निवासी ग्राम खटका हेडी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. सोनू पुत्र रमेश उर्फ सरदारा निवासी साई धाम कालोनी टेलीफोन एक्सचेन्ज के पीछे हसनपुर चुंगी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०स० 61/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०स० 71/24 धारा 379/411 भादवि , 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. उ०नि० श्री पंकज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. कां० 2378 सन्नी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हो०गा० 2077 सतीश थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 04.05.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से**

**01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा/खोखा कारतूस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र व इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0स0-105/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड) के वांछित अभियुक्त रिजवान उर्फ चना पुत्र कालू कुरैशी निवासी मौहल्ला मजहर हसन थाना चिलकाना सहारनपुर को आज दिनांक 04.05.2024 को धौलाहेडी मसकराव नदी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

अभियुक्त रिजवान उर्फ चना पुत्र कालू कुरैशी निवासी मौहल्ला मजहर हसन थाना चिलकाना सहारनपुर।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0-- 321/11 धारा-- 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0-- 278/19 धारा-- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर ।
3. मु0अ0सं0-- 210/19 धारा-- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना स0पुर
4. मु0अ0सं0-- 356/21 धारा-- 307 भादवि थाना चिलकाना स0पुर
5. मु0अ0सं0-- 357/21 धारा-- 3/5 सीएस एक्ट चिलकाना स0पुर
6. मु0अ0सं0-- 203/23- 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना स0पुर ।
7. मु0अ0सं0—105/2024 धारा-- 307 भादवि व 3/25/27 आमर्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

**बरामदगी का विवरण:-**

01 तमन्चा 315 बोर

01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 494 योगेश यादव थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक- 04.05.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 225**

**ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध नशे के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारीयों हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गुलाब पुत्र शराफत निवासी ग्राम खेड़ी शिकोहपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को ग्राम गन्देवडा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 225 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 88/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। जो चरस कल पुलिस टीम द्वारा मुझसे बरामद की गयी है उसे मैं उत्तराखण्ड से किसी राह चलते व्यक्ति से खरीद के लाया था। चरस को आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

गुलाब पुत्र शराफत निवासी ग्राम खेड़ी शिकोहपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

### **बरामदगी का विवरण-**

➤ 225 ग्राम अवैध चरस बरामद।

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -**

- 1- मु0अ0सं0 373/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
- 2- मु0अ0सं0 88/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 आशीष कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.05.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध हत्यारोपी 03**  
**अभियुक्तगण को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त 01**  
**कुल्हाडी व 02 सरिये बरामद किए**

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2024 को वादिया श्रीमति प्रीती पत्नी प्रदीप निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर ने थाना रामपुर मनिहारान उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर हाथों में लाठी, डंडे, कुल्हाडी व सरिया लेकर वादिया के घर में घुसकर वादिया व उसके पति तथा पुत्र गौरव के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करना, जिससे वादी के पुत्र को अस्पताल जाते समय उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0- 116/2024 धारा 147/148/149/302/307/452/120बी/34/323 भादवि बनाम लखपत आदि 08 पंजीकृत किया गया। दिनांक 29.04.2024 को अभियुक्तगण 1.लखपत पुत्र शिवलाल 2.अमन पुत्र सुरेन्द्र 3.अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसम्पर्ण किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.05.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मानीनय न्यायालय सहारनपुर से अभियुक्तगण 1.लखपत पुत्र शिवलाल 2.अमन पुत्र सुरेन्द्र 3.अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र निवासीगण ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर को 09 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अभियुक्तगण उपरोक्त की निशादेही पर ग्राम उमाही कलाँ की नहर पुल के पास गन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी व 02 सरिये बरामद किये गए। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**बरामदगी:-**

- 01 कुल्हाडी (घटना में प्रयुक्त)
- 02 सरिया (घटना में प्रयुक्त)

**अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

1. लखपत पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. अमन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

**बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. कां0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 04.05.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय**  
**न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 (विशेष गैगस्टर कोर्ट) जनपद**  
**सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये**  
**के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -**

अवगत कराना है, कि दिनांक 17.04.2010 को वादी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह थाना प्रभारी देवबन्द जनपद सहारनपुर के द्वारा सूचना दी अभियुक्तगण 1.इस्तखार पुत्र युसूफ 2.मुर्सलीन पुत्र युसूफ 3.सत्तार पुत्र युसूफ 4. सिकन्दर पुत्र युसूफ 5. मुस्तकीम पुत्र युसूफ(मृतक)6. सददाम उर्फ सोनू पुत्र सिकन्दर(मृतक) समस्त नि०गण ग्राम लबकरी थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर अपने लिए आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु भादवि 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित करने की सूचना पर मु०अ०सं० 288/2010 धारा 2/3 गैगस्टर अधि० थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं०- 172/2010 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 05 (विशेष गैगस्टर कोर्ट) जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 05 (विशेष गैगस्टर कोर्ट) जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 04.05.2024 को अभियुक्त 1.इस्तखार पुत्र युसूफ 2.मुर्सलीन पुत्र युसूफ 3.सत्तार पुत्र युसूफ 4. सिकन्दर पुत्र युसूफ को मु०अ०सं० 288/2010 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री मेघराज सिंह चौहान ।

विवेचक निरीक्षक श्री भरतलाल शाह।

पैराकार का० 253 मनोज कुमार।



-प्रेस नोट-

दिनांक 04.05.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 03.05.2024 को वादी रितिक पुत्र खेमसिंह निवासी हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण अंकुर कश्यप व अन्य 07 के द्वारा वादी द्वारा वादी, वादी के दोस्त तथा परिजनों के साथ गाली गलौज, जान से मारने की नीयत से डण्डो से मारपीट करने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 147/148/149/307/504/506/भादवि 3(2)(5) एससी/एसटीएक्ट पंजीकृत किया गया। घायल भानुप्रताप की इलाज के दौरान पीजीआई चण्डीगढ में मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का सफल अनावरण व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितिय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्तगण 1. रोहित उर्फ लेफिट पुत्र बवित कुमार निवासी टैगौर गार्डन नील कंठ मन्दिर के पास पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर 2. प्रवेश उर्फ गुड्डू पुत्र सुरेश निवासी टैगौर गार्डन नील कंठ मन्दिर के पास पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर 3. अभिषेक कुमार उर्फ बकरा पुत्र राजकुमार निवासी जगदम्बा कालोनी हिम्मतनगर थाना सदर बाजार सहारनपुर 4. विनय पुत्र जसवीर सिंह निवासी गली नं0- 4 हिम्मतनगर थाना सदर बाजार सहारनपुर** को पेपर मिल रोड गीता कम्पाउड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण रोहित व प्रवेश की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त दो डण्डे बरामद किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पृच्छताछ-** पृच्छताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उर्फ लेफिट ने बताया कि मैं, प्रवेश व अभिषेक कुमार, अंकुर कश्यप, विनय, अजय कुमार, विशाल व अंकुर आपस में अच्छे दोस्त हैं। कुछ दिन पहले होली पर मेरे दोस्त अंकुर कश्यप व विशाल का किसी बात को लेकर रितिक से झगड़ा हो गया था। दिनांक 03.05.2024 की रात को इसी झगड़े का बदला लेने के लिये मेरे दोस्त अंकुर कश्यप व विशाल ने हम सभी को फोन करके बुलाया और कहा की आज हम सब मिलकर रितिक को सबक सिखायेंगे। हम सभी एक राय होकर रितिक के घर गये, जहाँ उसके घर का गेट बन्द मिला। तभी हम लोगों ने गेट पर खड़े होकर रितिक को गलिया देने लगे। इसके बाद हम लोग विनय विहार की तरफ आ रहे थे तभी पीछे से रितिक व उसके दोस्त तथा उसके परिवारजन हमारे पीछे आ गये और हमारे साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की। इसी दौरान मैंने, प्रवेश व अंकुर कश्यप ने डंडे से रितिक व उसके दोस्त भानू प्रताप व परिवारीजन को मारा तथा हमारे अन्य साथियों ने लात घूसों से उनके साथ मारपीट की। रितिक का दोस्त भानू जिसके सिर पर डंडे लगने से चोट लगने के कारण वही जमीन पर गिर गया था। मैं, प्रवेश व अभिषेक आईआईटी की ओर भाग गये थे और मैंने व प्रवेश ने अपने अपने डंडो को आईआईटी गेट के पास झाड़ी में छुपा दिया था जो आज हमने पुलिस को बरामद करा दिये हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. रोहित उर्फ लेफिट पुत्र बवित कुमार निवासी टेगौर गार्डन नील कंठ मन्दिर के पास पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. प्रवेश उर्फ गुड्डू पुत्र सुरेश निवासी टेगौर गार्डन नील कंठ मन्दिर के पास पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. अभिषेक कुमार उर्फ बकरा पुत्र राजकुमार निवासी जगदम्बा कालोनी हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. विनय पुत्र जसवीर सिंह निवासी गली नं0- 4 हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

### बरामदगी का विवरण –

➤ 02 डण्डे (घटना में प्रयुक्त)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरजसिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
3. का0 240सोनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
4. का0 178 मंयक थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. का0 186 विमल कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. का0 266 धीरज सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
7. का0 102 कपिल थाना सदर बाजार सहारनपुर।